उपस्थित। मौका रिपोर्ट ILR मांडियाई कला से मंगवायी जाय। मिसल वास्ते जवाब दिनांक 08/08/2022 को पेश हो।

8/8/22 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी अवकाश/अवकाश पर/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से ऐसी हालत में आकर पत्रावली दिनांक 22/8/22 को पेश हो। आज्ञा है

22/8/22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अप्रार्थी क्र. 111 से 116 की Adv. किशोर सिंह अप्रार्थी 111 से 116 की ओर से जवाब पेश/नकल प्रार्थी Adv. को दिलवाई गई। अप्रार्थी 117 को न्यायालय समन से तामील करवाई लेकिन उप. नहीं अतः अप्रार्थी 117 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट/ बहस पक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिख कर शामिल मिसल किया गया। निर्णय पालनार्थ तहसीलदार को तहरीर जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—राजकेश मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:— 09/2022 धारा 251A R.T.Act.

प्रार्थीगण:—

1 केसाराम पुत्र श्री दलाराम

2 मूलाराम पुत्र श्री दलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मण्डियाई खुर्द तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:—

1 चुनाराम पुत्र श्री मंगलाराम फौत के कायम मुकाम:—

1/1 मुल्तानराम पुत्र श्री चुनाराम

1/2 झूमरराम पुत्र श्री चुनाराम

1/3 ओमाराम पुत्र श्री चुनाराम

1/4 नैनाराम पुत्र श्री चुनाराम

1/5 फरसाराम पुत्र श्री चुनाराम

1/6 शोभा पत्नी श्री चुनाराम

1/7 कबु पुत्री श्री चुनाराम सभी जाति मेघवाल निवासी ग्राम माण्डियाई खुर्द तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

2 सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर।

<u>निर्णय</u> **दिनांक** 22.8.2022

प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 70 रकबा 11.8492 है में कृषि कार्य हेतु आवागमन वास्ते खसरा संख्या 70/5 रकबा 1.3921 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है में से 20 फिट चौडा रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि खसरा नंबर 70 में आवागमन हेतु सार्वजनिक/बारहमासी रास्ते का अभाव है। खसरा नंबर 70/5 में रास्ता चलता रहा है परंतु अप्रार्थीगण द्वारा इच्छानुसार बंद कर दिया जाता है। इससे कृषि कार्य में दिक्कत होती है। प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शा पेश किया गया एवं उसमें दर्शाए अनुसार बिंदु A से B तक रास्ते की मांग की गई। प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है एवं नजरी नक्शे में दर्शाए बिन्दु अनुसार ही आवागमन करते रहे है। प्रार्थी द्वारा बताया कि अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि आपसी सहमति से रास्ते का मामला सुलझाया जाये परंतु समाधान नहीं हो पाया अतः विवश होकर प्रार्थी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अप्रार्थीगण

द्वारा प्रस्तुत जवाब में नजरी नक्शे में बिन्दु A से B तक किसी प्रकार का रास्ता नहीं होना बताया। प्रार्थीगण द्वारा कभी भी इस रास्ते का आवागमन हेतु इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बनावटी होने से अस्वीकार किया जाये।

भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया यह उभरकर सामने आता है कि राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु दर्ज नहीं है। साथ ही मौके पर कृषि कार्य हेतु आवागमन वास्ते एक बारहमासी रास्ते का अभाव है। पक्षकारान द्वारा बहस की गई जिसमें पूर्व में प्रार्थना पत्र एवं जबाव मे वर्णित कथनों को दोहराया गया। बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा ।

रास्ते की आवश्यकताः–

भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु खसरा नंबर 70 में आवागमन करना होता है। उसी खसरे में निर्मित ढाणियों में निवास भी करते हैं। अतः नियमित रूप से आवागमन हेतु बेरोकटोक चलने वाले रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है एवं मात्र सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया।

वैकल्पिक रास्ते का अभावः–

पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किसी वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख नहीं। अप्रार्थीगण द्वारा भी वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है।

निकटतम/सुगमतम रास्ताः–

राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि चाहा गया रास्ता ही निकटतम है एवं इसमें किसी प्रकार की बाधा होने का उल्लेख भू-अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट में नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेशः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरीये नक्शा में दर्शाये गये बिन्दू A से B के अनुसार ग्राम मंडियाई कला, तहसील तिंवरी के खसरा नंबर 70/5 (सत्तर बटा पांच) में 4.5 मीटर चौडा रास्ता घोषित किया जाता है। रास्ते की लम्बाई A से B तक (30 मीटर) रहेगी तदनुसार कुल प्रभावित रकबा 135 वर्ग मीटर होगा। तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से नियमानुसार डी.एल.सी. का तीन गुणा राशि की गणना कर अप्रार्थीगण को भुगतान करवाया जाकर उपरोक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रेकर्ड व लट्ठा ट्रेस में अमल दरामद किया जावे। संबंधित तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजकेश मीणा
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

आदेश आज दिनांक 22.8.22 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

राजकेश मीणा
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी ओसियां